पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 3/2024

अनवान :

1. महेन्द्रसिंह पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. रामनिवास पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. मुंशीराम पुत्र सदूराम जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. लिछमा देवी पुत्री मुंशीराम पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।
3. बाला पुत्री मुंशीराम पत्नी रमेश जाति जाट निवासी जाटान तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रोहताश सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम हूड्डा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जटान के खाता सं0 241/30 के खसरा सं0 229/1 की 0.506है0, ख0सं0 396/359 दिखनादा की 1.745है0, ख0सं0 399/228 दिखनादा की 1.9980है0 की कुल 4.2490है0 वादभूमि में सम्पूर्ण हिस्सा तथा रोही मौजा जटान के ही खाता सं0 29/21 के खसरा सं0 258 दिखनादा की 2.9970है0, खसरा सं0 261 दिखनादा की 1.9350 कुल 4.9320है0 में 1079/4932 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 मुंशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त दोनों खातों की वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मुंशीराम का नाम कलमजन कर वादी सं0 1 महेन्द्रसिंह व वादी सं0 2 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.02.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Preetam

(प्रीतम कुमार)I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner